

मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०, मुरादाबाद।

पत्रांक :- 3971/46एम०-मु०क्ष०/13

दिनांक- 26/6/15

सेवा में,

जिलाधिकारी  
सम्मल।

विषय :- तहसील गुन्नौर जिला सम्मल में स्थित ग्राम सराय ब्राह्मण के गाटा सं०-29 पर रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक-203/रीडर-अ०प्र०प०/2015 दिनांक 16.04.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो०नि०वि०, मुरादाबाद के पत्रांक-2651/105काम-मु०वृत्/15 दिनांक 25-06-15 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सम्मल का पत्रांक-1813/अवर अभि०प्रा० दिनांक 23-06-15 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में तहसील गुन्नौर जिला सम्मल में स्थित ग्राम सराय ब्राह्मण के गाटा सं०-29 पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स एस्सार ऑयल लि०, को निम्न शर्तों के साथ लो०नि०वि० से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

- 1- प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
- 2- निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
- 3- भू-स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 4- प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 5- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
- 6- भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
- 7- प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
- 8- उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्न :- 1-साईट प्लान-1  
2-अधी०अभि०, मु०वृत् का पत्र सं०-2651/  
105काम-मु०वृत्/15 दिनांक 25-06-15  
एवं अधि०अभि०, प्रा०ख०, लो०नि०वि०,  
सम्मल का पत्र सं०-1813/अवर अभि०प्रा०  
दिनांक 23-06-15 (छाया प्रति संलग्न)

(ए०के० भाटिया)  
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- 1-अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो०नि०वि०, मुरादाबाद को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 25-06-15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2-अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सम्मल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए०के० भाटिया)  
मुख्य अभियन्ता